

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

**:: अधिसूचना ::**

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.06.2020

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -

सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :-

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
15	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक भूमि का आबंटन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
16	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
17	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण (5000 वर्गफुट तथा 5000 वर्गफुट से अधिक)	90 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर	संभागायुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*(Handwritten Signature)*

(एम.डी. दीवान)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग